



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-2357/JH/59/2023-ESDW

दिनांक: 19.07.2024

सेवा में,

श्री अक्षय कुमार भोगता,
पुत्र स्व. सनातन भोगता,
ग्राम-टेटेबन्दा, टोला-चारलू, थाना-सिल्ली,
जिला-राँची, झारखण्ड
फोन नं.8340174451

विषय: गैर आदिवासियों द्वारा आवेदक की भूमि पर जबरन कब्जा किए जाने के संबंध में श्री अक्षय कुमार भोगता पुत्र स्व. सनातन भोगता, ग्राम-टेटेबन्दा, टोला-चारलू, थाना-सिल्ली, जिला-राँची, झारखण्ड का दिनांक 04.10.2023 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग की माननीया सदस्य (डॉ. आशा लकड़ा) ने आपके मामलों में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 26.07.2024 को अपराह्न 03:00 बजे आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में बैठक तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से सूचित कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

ई-मेल: researchofficer-esdw@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. माननीया सदस्य महोदया (अ.ल.) के निजी सचिव।
2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।